

न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय  
(The Judiciary: Supreme court and high court)

- संघात्मक राज्य होने के बावजूद हमारे यहाँ स्वीकृत न्यायपालिका है। क्योंकि देश में न्याय के प्रशासन का इकट्ठी व्यवस्था है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरी है। व राज्यों के अंश के उच्च न्यायालय उसके अधीन है। उच्च न्यायालय सौजन्यतावश राज्यों के शासन के तृतीय अंग के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में वे केंद्रीय शासन के तृतीय अंग के उपभाग हैं। उच्च न्यायालयों के कार्य संगठन व क्षेत्राधिकार संबंधी विषय हैं। राष्ट्रपति अपने इलाके व मुहर के आदेशानुसार उच्च न्यायालयों के ~~संगठन~~ व पदान व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तथा उन्हें एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय में पदान व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

सर्वोच्च न्यायालय  
(Supreme court)

देश की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संघीय न्यायालय (Federal court) को 1950 में उसका स्तर अंचल करके सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी गयी है।

गठन (Composition) → संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 1-2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की थी। 1956 में संसदक न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गयी। यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के ~~व्यतिरिक्त~~ व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

## सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्निरीक्षण (Supreme court and judicial review)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131-132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघीय और राज्यों की विधि के सम्बन्ध में यह महसूस करता है कि कोई विधि संविधान के किस अनुच्छेद की उल्लंघना कर रही है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।

इस न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार करते हैं दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय को वह शक्ति है जिसे द्वारा वह विधानमंडल के कानून तथा कार्यपालिका के आदेशों को जाँच कर सकता है।

संविधान देश का सर्वोपरि कानून है उसकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख वैधानिक कर्तव्य है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को संघीय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा भारतीय संघ के अन्तिम अपील न्यायालय के रूप में बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।